

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम

इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र

(जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर-452003

आदेश क्रमांक 84/विउशिनिफो/इंदौर/20

प्रकरण क्रमांक W0461920

विषय :- मीटर जम्प/खराब होने के कारण अधिक बिल आने बाबत ।

श्री रिजवान अब्बास इकबाल

----- परिवादी

पुरानी सिविल कोर्ट के सामने

जयस्तंभ रोड़ - बुरहानपुर

विरुद्ध

कार्यपालन यंत्री (शहर) संभाग मप्रपक्षेविविकंलि. बुरहानपुर

-----उत्तरदाता

आदेश

(आज दिनांक 19.08.2020 को पारित किया गया)

परिवादी अभिभाषक श्री अनीस अहमद अंसारी उपस्थित।

विपक्ष मप्रपक्षेविविकंलिमि. की ओर से श्री जितेन्द्र झारिया कार्यपालन यंत्री उपस्थित।

परिवादी का कथन :-

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में कथन किया गया कि उसका गैर घरेलु विद्युत सर्विस कनेक्शन क्रमांक 61-02- 481488 है । उक्त कनेक्शन से 3 सीएफएल, 1 कम्प्युटर, 1 प्रिंटर 2 पंखे का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाता है । जिसकी मासिक औसत खपत 120 से 160 युनिट होती है । माह जनवरी 2020 एवं फरवरी 2020 में उक्त विद्युत खपत की तुलना में 18 से 20 गुना अधिक विद्युत खपत के बिल जारी किए गए । इस बाबत संबंधित कार्यालय में दिनांक 03.01.2020 को आवेदन दिया गया । जिसके आधार पर राशि रु. 50/- मीटर जांच शुल्क के नाम से प्राप्त किया जाकर मीटर बदला गया । मीटर बदलने के पश्चात नए मीटर में 115 युनिट की विद्युत खपत दर्ज हुई । जिससे यह स्पष्ट है कि पुराना मीटर जम्प होकर खराब हो गया था, जिसके कारण इतनी अधिक विद्युत खपत दर्ज हुई । मीटर परीक्षण रिपोर्ट में 5 युनिट चलाने पर

3.2 युनिट चलना पाया गया । इससे सिद्ध होता है कि पूर्व में स्थापित मीटर खराब था, जिसके कारण इतनी अधिक विद्युत खपत आई है, जो कि विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 की मंशा के अनुसार रिवाईज किए जाने योग्य है ।

निवेदन है कि शिकायत को स्वीकार करते हुए माह जनवरी 2020 एवं फरवरी 2020 में दर्ज अत्याधिक खपत 2513 यूनिट, एवं 549 यूनिट को त्रुटिपूर्ण मीटर की खपत मानते हुए विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 के अनुसार रिवाईज की जावे एवं उक्त अवधि में भुगतान की गई राशि का समायोजन करते हुए शेष राशि एवं अधिभार निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान करते हुए बिल में क्रेडिट दिलाए जाने की कृपा करें ।

विपक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे पर परिवादी द्वारा अपने लिखित कथन दिनांक 05.08.2020 में लेख किया गया कि विपक्ष द्वारा 6 वर्ष की पासबुक, मीटर रिप्लेसमेंट फार्म एवं मीटर जांच रिपोर्ट दिनांक 24.01.2020, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 26.06.2020 की प्रति प्रस्तुत करते हुए जारी किए गए उक्त विद्युत बिलों को खपत अनुसार होना बताते हुए शिकायत निरस्त करने का निवेदन किया है । इस बाबत निम्न कथनों के आधार पर शिकायत स्वीकार किए जाने योग्य है :-

ए. मीटर परिवादी के आवेदन दिनांक 03.01.2020 के आधार पर बदला गया था ।

बी. विवादित मीटर परीक्षण दिनांक 24.01.2020 में 5 युनिट चलाने पर 3.2 युनिट चलना पाया गया । जिससे स्पष्ट है कि मीटर जम्प होकर खराब होने के कारण सुचारु रूप से नहीं चल रहा था ।

सी. विगत 6 वर्ष की पासबुक के अवलोकन से स्पष्ट है कि विगत वर्षों में कभी भी इतनी अधिक खपत दर्ज नहीं हुई, । अतः माह जनवरी में दर्ज खपत 2513 युनिट एवं फरवरी में 549 युनिट खपत रिवाईज किए जाने योग्य है ।

डी. दिनांक 26.06.2020 को परिसर का भौतिक सत्यापन किए जाने पर 1020 वॉट संयोजित भार पाया गया ।

ई. विवादित मीटर के स्थान पर जो नया मीटर लगाया गया उसमें क्रमशः 144 यूनिट की खपत दर्ज हुई ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर माह जनवरी एवं फरवरी 2020 में दर्ज अत्याधिक खपत को मीटर जम्प/खराब मानते हुए विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 8.35 के अनुसार रिवाईज किए जाने एवं इस अवधि में भुगतान की गई राशि का समायोजन कराया जाकर शेष राशि पेनाल्टी एवं अधिभार सहित निरस्त करते हुए समस्त राशियों का समायोजन आगामी बिल में किए जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

विपक्ष का कथन :-

विपक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में कथन किया गया कि परिवादी के नाम से सर्विस कनेक्शन क्रमांक 61-02-4924880000 पुरानी सिविल कोर्ट के सामने, 2500 वॉट का थ्री-फेज गैर घरेलु उपयोग हेतु आवंटित है । परिवादी को मीटर में दर्ज वास्तविक खपत के आधार पर ही प्रतिमाह बिल जारी किए गए । इस बाबत पास-बुक एवं फोटो मीटर रीडिंग की प्रति संलग्न है । माह जनवरी 2020 में अधिक खपत का बिल प्राप्त होने पर परिवादी द्वारा दिनांक 03.01.2020 को आवेदन प्रस्तुत कर माह जनवरी 2020 का बिल पुनरीक्षित कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । परिवादी के आवेदन के आधार पर दिनांक 07.01.2020 को परिसर का निरीक्षण करते हुए व मीटर निकालते हुए नया मीटर स्थापित किया गया । डिस्पोजल स्लीप की प्रति प्रस्तुत । निकाले गए मीटर की जांच 24.01.2020 को मीटर परीक्षण प्रयोगशाला में किए जाने पर 10 एम्पीयर लोड पर मीटर को आरएसएस के साथ टेस्ट करने पर 5.0 युनिट चलाने पर 3.2 युनिट चलता पाया गया । इस बाबत जांच रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई ।

परिवादी को मीटर जांच रिपोर्ट के बारे में अवगत करा दिया गया है, मीटर जांच रिपोर्ट के आधार पर माह जनवरी 2020 एवं फरवरी 2020 के विद्युत देयकों को पुनरीक्षित किया जाना संभव नहीं है । परिसर का निरीक्षण दिनांक 26.06.2020 को किए जाने पर कुल संयोजित भार 1020 वॉट पाया गया । भौतिक सत्यापन की प्रति संलग्न की गई ।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जवाब के आधार पर प्रकरण सव्यय निरस्त कर विद्युत देयक का भुगतान करने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें ।

इसके अतिरिक्त दिनांक 13.08.2020 को प्रस्तुत लिखित बहस में कथन किया गया कि मीटर जांच रिपोर्ट में मीटर खराब होने का कोई लेख नहीं है । माह जनवरी एवं फरवरी 2020 के देयक वास्तविक मीटर वाचन के आधार पर ही जारी किए गए हैं क्योंकि फोटो मीटर रीडिंग में मीटर में दर्ज वाचन समान ही है । ऐसी स्थिति में जनवरी 20 एवं फरवरी 20 के विद्युत देयको को परिवादी की मंशानुसार पुनरीक्षित किया जाना संभव नहीं है । विपक्ष ने दस्तावेज यथा 3 साल का बिलिंग स्टेटमेंट, मीटर डिस्पोजल स्लीप, मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट एवं फोटो मीटर रीडिंग प्रस्तुत किए ।

विधिक प्रावधान :-

मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कण्डिका 8.35 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :-

8.35 जिस अवधि में मापयन्त्र (मीटर) कार्यरत नहीं रहता हो, उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा

(अ) यदि जांच मापयंत्र (check meter) उपलब्ध हो तो उक्त वाचन (reading) का उपयोग खपत के आकलन हेतु किया जा सकेगा।

(ब) ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (main meter) त्रुटिपूर्ण हो तथा जांच मापयंत्र (check meter) स्थापित न किया गया हो या त्रुटिपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर त्रुटिपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन-चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियां हैं जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ-साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अवधि के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब/उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वितरण केन्द्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि उपभोक्ता ऐसे निर्धारण से सन्तुष्ट न हो तो अति उच्चदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।

(स) अनुज्ञप्तिधारी, त्वरित उचित आकलन के अभाव में उपभोक्ता को पिछले तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के औसत मासिक आधार पर अनन्तिम देयक (provisional bill) जारी कर सकेगा जो बाद में किसी अनुवर्ती तिथि को पुनरीक्षण के अध्वधीन होगा।

फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :-

प्रकरण में पाया गया कि परिवादी का गैर घरेलु सर्विस कनेक्शन क्रमांक 61-02-4924880000 होकर स्वीकृत भार 2500 वॉट है। परिवादी को माह जनवरी 2020 एवं फरवरी 2020 में क्रमशः 2513 यूनिट, एवं 549 का बिल जारी होने पर विवाद उत्पन्न हुआ। परिवादी की शिकायत पर मीटर बदलकर परीक्षण हेतु भेजा गया, जिसका परीक्षण दिनांक 24.01.2020 को किए जाने पर 10 एम्पीयर लोड पर मीटर को आरएसएस के साथ टेस्ट करने पर 5.0 युनिट चलाने पर 3.2 युनिट चलता पाया गया। विपक्ष द्वारा अपने कथन में उल्लेख किया

गया कि मीटर जांच रिपोर्ट के आधार पर माह जनवरी 2020 एवं फरवरी 2020 के विद्युत देयकों को पुनरीक्षित किया जाना संभव नहीं है ।

बिलिंग स्टेटमेंट के अवलोकन से प्रकरण में यह भी पाया गया कि माह जनवरी 2020 एवं फरवरी 2020 के पूर्व एवं बाद के माहों में परिवादी की औसत खपत लगभग 150 युनिट रही है ।

उभयपक्षों द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अभिमत है कि मीटर परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 24.01.2020 के अनुसार मीटर 5.0 युनिट चलाने पर 3.2 युनिट चलता पाया गया । माह जनवरी 2020 एवं फरवरी 2020 के पूर्व एवं बाद के माहों में परिवादी की औसत खपत लगभग 150 युनिट रही है, अतः मीटर त्रुटिपूर्ण होने से माह जनवरी 2020 एवं फरवरी 2020 में दर्ज खपत को निरस्त किया जाना चाहिए एवं इसके स्थान पर विधिक प्रावधान में उल्लेखित कंडिका 8.35 के अनुसार नये मीटर में दर्ज प्रथम तीन माह की औसत खपत के आधार पर परिवादी का माह जनवरी 2020 एवं फरवरी 2020 को बिल पुनरीक्षित किया जाना चाहिए ।

फोरम का निर्णय :-

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारीयों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :-

01/ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में उल्लेखानुसार मीटर परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 24.01.2020 के अनुसार मीटर त्रुटिपूर्ण पाया गया, अतः जनवरी 2020 एवं फरवरी 2020 में दर्ज खपत को त्रुटिपूर्ण अवधि की खपत मानते हुए निरस्त की जावे एवं इसके स्थान पर विधिक प्रावधान में उल्लेखित कंडिका 8.35 के अनुसार नए मीटर में दर्ज प्रथम तीन माह की औसत खपत के आधार पर परिवादी का माह जनवरी 2020 एवं फरवरी 2020 को बिल पुनरीक्षित किया जावे ।

उक्तानुसार प्रकरण निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(डी.के.पुरोहित),
सदस्य

(एन.एस.मंडलोई),
सदस्य

(व्ही.के. गोयल)
अध्यक्ष